न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व वाद संख्या 153/2019 — अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
जेठाराम पुत्र जेताराम जाति जाट, निवासी जीयाणियों की बस्ती तहसील शिव, जिला बाडमेर		1. भैराराम पुत्र जेताराम जाति जाट, निवासी जीयाणीयों की बस्ती तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा उण्डू 3. तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादी – श्री बालाराम गोदारा।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 04.08.2023

वादी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल काश्मीर के ग्राम जीयाणीयों की बस्ती के खेत खसरा नम्बर 643 रकबा 14.4473 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	जेठाराम पुत्र जेताराम कौम जाट सा.देह खातेदार रहन पीएनबी उण्डू	जीयाणीयों की ढाणी	643	7.1872	बा.सो.	–	लाल
2	भैराराम पुत्र जेताराम कौम जाट सा.देह खातेदार रहन पीएनबी उण्डू	जीयाणीयों की ढाणी	643	7.1872	बा.सो.	–	नीला
3	जेठाराम1/2, भूराराम1/2 पि. जेताराम कौम जाट सा. देह खातेदार रहन पीएनबी उण्डू	जीयाणीयों की ढाणी	643	0.0729	बा.सो.	–	काला

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर शिव, जिला-बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 04.08.2023 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner